न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 174/2022 **दायर दिनांकः 30/12/2022**

उनवान

1. सुनीताबाई आयु 32 वर्ष पुत्री कालूलाल जाति मीणा निवासी डडवाडा तहसील अटरू हाल मुकाम मेरमातालाब तह0 अटरू जिला बारां राज0।

वादिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट एवं धारा 136 एल.आर. एक्ट

उपस्थिति :—

वादिया :—विद्वान अभिभाषक श्री कुंजबिहारी नागर

निर्णय

दिनाक : 27/04/2023

पत्रावली प्रशासन गावों के संग अभियान 2023 के शिविर मेरमाचाह में पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है वादिया ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट. एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल डडवाडा तहसील अटरू जिला बारां राज मे मुताबिक जमाबन्दी सम्बत् 2070 से 2073 के अनुसार खाता सं. 121 खं नं0 82 रकबा 0.01 है0 गै0 मु. कूआ स्थित है। जो शामलाती है जिसमें वादिया का हिस्सा 1/30 दर्ज जाता है। इसी प्रकार खाता संख्या 94 का ख0 नं0 147 की 0.07 है0, ख0नं0 149 की 1.12 है0, ख0 नं0 215/573 की 0.07 है0, ख0नं0 216 की 0.09 है0, ख0 नं0 242 बाडा की 0.15 है0, ख0नं0 83 की 1.20 है0 कुल किता 6 की 2.70 है0 आराजी स्थित है जिसमें वादिया का हिस्सा 1/60 निहीत है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित खाता सं0 94 में वादिया का नाम भूरी नाबालिग पुत्री भूरी नाबालिग पुत्री कालूलाल संरक्षक सरपरस्त वली माता एवं खाता 121 में वादिया का नाम नाबालिग भूरी पुत्री पति कालूलाल संरक्षक सरपरस्त वली माता मांगीबाई सहवन से दर्ज हो गया है। जबकि वादिया का वास्तविक नाम सुनिताबाई पुत्री कालूलाल जाति मीणा निवासी डडवाडा है। वादिया के समस्त दस्तावेजों आधार कार्ड, भामाशाह,

मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड व शैक्षणिक दस्तावेजात में वादिया का नाम सुनिताबाई पुत्री कालूलाल ही दर्ज है एवं ग्राम पंचायत बमोरी द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी वादिया का नाम सुनिताबाई पुत्री कालूलाल ही होना स्पष्ट है। वादिया को खाते में अपना नाम गलत दर्ज होने की जानकारी होने पर वादिया अपने समस्त दस्तावेजात व ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण के आधार पर अपना नाम खाते में दुरूस्त करवाने हेतु प्रतिवादी के पास गई तो प्रतिवादी ने नाम दुरूस्त करने से इंकार करते हुये माननीय न्यायालय में वाद पेश करने की हिदायत दी। इस वजह से यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। बिना सहायता न्यायालय वाद पत्र की मद न 1 में वर्णित खाता संख्या 94 व खाता संख्या 121 की जमाबन्दी में वादिया का नाम दुरूस्त किया जाना सम्भव नहीं है। यदि वादिया का नाम दुरूस्त नहीं किया गया तो वादिया को मुआवजा राशि प्राप्त करने व कृषि ऋण लेने में काफी परेशानिया होगी जिससे वादिया को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति अन्य प्रकार के होना सम्भव नहीं होगी। इसलिये वादिया वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि में दोनों खातोंमें नाम दुरूस्त करवाकर भूरीबाई नाबा0 पुत्री कालूलाल के स्थान पर सुनिताबाई पुत्री कालूलाल के नाम की घोषणा करवाकर इसका अंकन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करवाने की अधिकारणी है। वाद कारण वादिया द्वारा वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित दोनों खातों की जमाबन्दियों की नकले प्राप्त करने पर जानकारी होने पर अपने समस्त दस्तावेजात व ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर प्रति0 के पास नाम दुरूस्त करवाने जाने पर व प्रतिवादी द्वारा नाम दुरूस्ती से मना करते हुये माननीय न्यायालय में वाद पेश करने की हिदायत देने पर बमुकाम माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में प्रथम व अंतिम बार उत्पन्न हुआ। वाद पत्र राजस्थान टीनेन्सी एकट के तृतीय परीशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है। राज सरकार भूमिधारी होने से उन्हे आवश्यक पक्षकार प्रति0 बनाया गया है। अतः माननीय न्यायालय में वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादी पारित की जावे–

(अ)–वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित दोनों खातों की आराजीयात में नाबालिग भूरी पुत्री पति कालूलाल के स्थान पर सुनिताबाई पुत्री कालूलाल दर्ज करवाये जाने बाबत प्रतिवादी को आदेश प्रदान किये जावे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे प्रदान की जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया कि बिंदु संख्या 1 में यह है कि मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट वाद पत्र में वर्णित ग्राम डडवाड़ा की आराजी खाता संख्या 94 कुल किता 6 कुल रकबा 2.70 हे0 में वादी का हिस्सा 1/60 एवं खाता संख्या 121 खसरा नम्बर 82 रकबा 0.01 हे0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.01 हे0 में वादी का हिस्सा 1/30 दर्ज रिकार्ड है। बिंदु संख्या 2 के क्रम में यह है कि मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट जमाबंदी खाता संख्या 94 में वादी का नाम नाबालिग भूरी पुत्री कालूलाल संरक्षक सरपरस्त वली माता तथा खाता संख्या 121 में वादी का नाम नाबालिग भूरी पुत्री कालूलाल संरक्षक सरपरस्त वली माता मांगीबाई के रूप में दर्ज है। मुताबिक ग्रामवासियान डडवाड़ा में वादीया के सही नाम के संबंध में जानकारी करने पर बताया कि वादिया का बोल चाल का नाम भूरी एवं सही नाम सुनिता बाई है। वादिया के अन्य पहचान संबंधित दस्तावेज समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। बिंदु संख्या 4 माननीय न्यायालय से संबंधित है। बिदु संख्या 5 माननीय न्यायालय से संबंधित है। बिंदु संख्या 6 माननीय न्यायालय से संबंधित है। बिंदु संख्या 7 माननीय न्यायालय से संबंधित है। बिंदु संख्या 8 माननीय न्यायालय से संबंधित है।

3. साक्ष्य प्रार्थी के तहत pw1 राकेश पुत्र कालूलाल जाति मीणा निवासी डडवाडा तहसील अटरू जिला बारां का शपथ पत्र पेश किया गया। साक्ष्यवादी ने बताया कि ग्राम डडवाडा में खाता सं. 121 खं नं0 82 रकबा 0.01 है0 गै0 मु. कूआ स्थित है। जो शामलाती है जिसमें वादिया का हिस्सा 1/30 दर्ज जाता है। इसी प्रकार खाता संख्या 94 कुल किता 6 की 2.70 है0 आराजी स्थित है जिसमें वादिया का हिस्सा 1/60 दर्ज है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित खाता सं0 94 में वादिया का नाम भूरी नाबालिग पुत्री भूरी नाबालिग पुत्री कालूलाल संरक्षक सरपरस्त वली माता एवं खाता 121 में वादिया सुनिताबाई का नाम नाबालिग भूरी पुत्री पति कालूलाल संरक्षक सरपरस्त वली माता मांगीबाई सहवन से दर्ज हो गया है जबकि वादिया का वास्तविक नाम सुनिताबाई पुत्री कालूलाल जाति मीणा निवासी डडवाडा है। वादिया के समस्त दस्तावेजों आधार कार्ड, भामाशाह, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड व शैक्षणिक दस्तावेजात में वादिया का नाम सुनिताबाई पुत्री कालूलाल ही दर्ज है एवं ग्राम पंचायत बमोरी द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी वादिया का नाम सुनिताबाई पुत्री कालूलाल ही होना स्पष्ट है। उक्त भूमि में वादिया के साथ मैं भी सहखातेदार हूॅ। वादिया का नाम उक्त दोनों खातों में नाबालिग भूरी पुत्री पति

कालूलाल के स्थान पर सुनिताबाई पुत्री कालूलाल दर्ज किये जाने में मैं स्वयं भी सहमत हूॅ तथा अन्य सहखातेदारान को भी कोई आपत्ति नहीं है।

4. अभिभाषक वादिया की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादिया ने बहस के दौरान वाद पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम डडवाडा में खाता सं. एवं खाता संख्या 94 की भूमि शामलाती खाते दर्ज है । खाता सं0 94 में वादिया का नाम भूरी नाबालिग पुत्री भूरी नाबालिग पुत्री कालूलाल संरक्षक सरपरस्त वली माता एवं खाता 121 में वादिया सुनिताबाई का नाम नाबालिग भूरी पुत्री पति कालूलाल संरक्षक सरपरस्त वली माता मांगीबाई सहवन से दर्ज हो गया है जबकि वादिया का वास्तविक नाम सुनिताबाई पुत्री कालूलाल जाति मीणा निवासी डडवाडा है। वादिया के समस्त दस्तावेजों आधार कार्ड, भामाशाह, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड व शैक्षणिक दस्तावेजात में वादिया का नाम सुनिताबाई पुत्री कालूलाल ही दर्ज है

अभिभाषक प्रार्थिया ने बहस के दौरान आगे कथन किया कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व अन्य दस्तावेज रिकॉर्ड में अलग–अलग नाम होने से वादिया को भूमि का विकास करवाने व अन्य कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जिसे दुरुस्त करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में ग्राम डडवाडा की उक्त विवादित आराजी में वादिया का नाम भूरी के स्थान पर सुनिताबाई पुत्री कालूलाल दर्ज किया जावे।

5. अभिभाषक वादिया की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादिया द्वारा प्रस्तुत ग्राम डडवाडा की जमाबन्दी संवत् 2070–2073 की खाता संख्या 121 ख0नं0 82 रकबा 0.01 है0 में वादिया का नाम शामलाती खातें नाबालिग भूरी पुत्री पति कालुलाल संरक्षक वली माता मांगीबाई हिस्सा 1/30 दर्ज रिकार्ड है। खाता संख्या 94 के ख0नं0 147 की 0.07 है0, ख0नं0 149 की 1.12 है0, ख0 नं0 215/573 की 0.07 है0, ख0नं0 216 की 0.09 है0, ख0 नं0 242 की 0.15 है0, ख0नं0 83 की 1.20 है0 कुल किता 6 की 2.70 है0 आराजी में वादिया का नाम नाबालिग भूरी पुत्री कालूलाल संरक्षक वली माता हिस्सा 1/60 दर्ज रिकार्ड है।

वादिया द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया की पास बुक में सुनिता बाई , राशन कार्ड में सुनीता बाई, भामाशाह कार्ड में सुनीता बाई, आधार कार्ड में सुनीता बाई पत्नि ओमप्रकाश, मतदाता पहचान पत्र में सुनिता पत्नि ओमप्रकाश दर्ज रिकार्ड है। ग्राम पंचायत बमोरी द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 22.12.2022 अनुसार सुनीता बाई को गावं में भूरी व

सुनीता पुत्री कालूलाल दोनों नामों से जाना जाता है। इन नामों का पृथक से कोई व्यक्ति नहीं है। उपरोक्त वर्णित दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिया का सही नाम सुनीता बाई पुत्री कालूलाल है। प्रतिवादी द्वारा भी अपने जवाब दावा में यह स्वीकार किया कि वादिया का बोल चाल का नाम भूरी एवं सही नाम सुनिता बाई है। सहखातेदार साक्ष्यवादी ने भी अपने शपथ पत्र में यह स्वीकार किया है कि भूरी का सही नाम सुनीता बाई पुत्री कालूलाल ही है।

वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादिया का नाम नाबालिग भूरी दर्ज है। वादिया द्वारा पेश मतदाता पहचान पत्र में वादिया का जन्म वर्ष 1990 तथा भामाशाह कार्ड एवं आधार कार्ड में वादिया की जन्म दिनांक 08.08.1990 अंकित है जिससे स्पष्ट होता है कि वादिया वर्तमान में बालिग हो चुकी है।

6. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादिया का नाम नाबालिग भूरी के स्थान पर सुनीता बाई पुत्री कालूलाल व बालिग दर्ज किया जाना न्यायोचित होगा। अतः वादिया का वाद न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर वादिया का वाद न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम डडवाडा के खाता संख्या 121 ख0नं0 82 रकबा 0.01 है0 में नाबालिग भूरी पुत्री पति कालुलाल के स्थान पर सुनीता बाई उर्फ भूरी पुत्री कालूलाल तथा खाता संख्या 94 के ख0नं0 147 की 0.07 है0, ख0नं0 149 की 1.12 है0, ख0 नं0 215/573 की 0.07 है0, ख0नं0 216 की 0.09 है0, ख0 नं0 242 की 0.15 है0, ख0नं0 83 की 1.20 है0 कुल किता 6 की 2.70 है0 आराजी में नाबालिग भूरी पुत्री कालूलाल के स्थान पर सुनीता बाई उर्फ भूरी पुत्री कालूलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 27/04/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 174/2022 **दायर दिनांकः 30/12/2022**

उनवान

1. सुनीताबाई आयु 32 वर्ष पुत्री कालूलाल जाति मीणा निवासी डडवाडा तहसील अटरू हाल मुकाम मेरमातालाब तह0 अटरू जिला बारां राज0।

वादिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट एवं धारा 136 एल.आर. एक्ट</u>

उपस्थिति :–
वादिया :–विद्वान अभिभाषक श्री कुंजबिहारी नागर

मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। ग्राम डडवाडा की विवादित आराजी खाता संख्या 121 ख0नं0 82 रकबा 0.01 है0 में नाबालिग भूरी पुत्री पति कालुलाल के स्थान पर सुनीता बाई उर्फ भूरी पुत्री कालूलाल तथा खाता संख्या 94 के ख0नं0 147 की 0.07 है0, ख0नं0 149 की 1.12 है0, ख0 नं0 215/573 की 0.07 है0, ख0नं0 216 की 0.09 है0, ख0 नं0 242 की 0.15 है0, ख0नं0 83 की 1.20 है0 कुल किता 6 की 2.70 है0 आराजी में नाबालिग भूरी पुत्री कालूलाल के स्थान पर सुनीता बाई उर्फ भूरी पुत्री कालूलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X...................... ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X........................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 27.04.2023 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)